



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, जुलाई 29—अगस्त 4, 2018, शनिवार/श्रावण 7—श्रावण 13, 1940
No. 30] NEW DELHI, JULY 29—AUGUST 4, 2018, SATURDAY/SRAVANA 7—SRAVANA 13, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 2018

का.आ. 1128.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खण्ड (ख) और धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात, एतद्वारा, श्री अरिजीत बसु (जन्म तिथि: 23.10.1960) को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.10.2020 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2016-बीओ-1]

ज्ञानोत्तम राय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 25th June, 2018

S.O. 1128.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section (19) and sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of

India, hereby appoints Shri Arijit Basu (DOB: 23.10.1960) as Managing Director of State Bank of India with effect from from the date of his taking over charge of the post and till the date of his superannuation, i.e., 31.10.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2016-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ. 1129.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री दक्षिता दास, अपर सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू के स्थान पर बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में सरकारी नामिती निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2018

S.O. 1129.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Dakshita Das, Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Government nominee Director on the Board of Directors of Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Girish Chandra Murmu.

[F. No. 6/3/2012-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ. 1130.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सेवा राम मेहर, उप सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री एस. सेल्वकुमार के स्थान पर पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में सरकारी नामिती निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2018

S.O. 1130.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Sewa Ram Mehar, Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services as Government nominee Director on the Board of Directors of Punjab and Sind Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri S. Selvakumar.

[F. No. 6/3/2012-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

का.आ. 1131.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 23 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.887, जो भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में 'श्री चरण सिंह' शब्दों के स्थान पर 'प्रो. चरण सिंह' पढ़ा जाए।

[फा. सं. 6/3/2017-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th July, 2018

S.O. 1131.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, number S.O.887, dated the 23rd May, 2018, published in part II, sub-section (ii) of section (3) of the Gazette of India, for the words "Shri Charan Singh", read "Prof. Charan Singh".

[F. No. 6/3/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.